

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(23)नविवि/अटरू/2022

जयपुर, दिनांक: 14/06/2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा को अटरू, जिला-बारां के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष-2041 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है :-

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम हिन्दी में	राजस्व ग्राम का नाम अंग्रेजी में
1.	अटरू	ATRU
2.	लक्ष्मीपुरा	LAXMIPURA
3.	खेडलीगंज	KHERLIGANG
4.	रतनपुरा	RATANPURA
5.	चैनपुरिया	CHAINPURIYA
6.	गोविन्दपुरा	GOVINDPURA
7.	खेडलीबांसला	KHERLIBANSLA
8.	बेडक्या	BERAKYA
9.	गंदोलिया	GANDOLIYA
10.	काचरा	KACHRA
11.	छत्रपुरा	CHHATRAPURA

राज्यपाल की आज्ञा से

(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, बारां।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, (एन.सी.आर.), राजस्थान, जयपुर।
8. उप नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, अटरू, जिला बारां।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ..... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रालयी।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय